(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 49–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2014–15.

1– सुरेशचन्द्र आत्मज द्वारकाप्रसाद
2– अशोक कुमार आत्मज द्वारकाप्रसाद
निवासीगण आबकारी रोड, बैतूलगंज बैतूल ..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

देवनारायण आत्मज शिवचरण सरले
निवासी ग्राम बडोरा
तहसील एवं जिला बैतूल .....प्रत्यर्थी

श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20/11/16 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा मौजा बदनूरढाना पटवारी हल्का नं. 53 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 678 रकबा 5.390 हेक्टेयर के नक्शे में दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार, बैतूल द्वारा प्रकरण

कमांक 2/अ–6(अ)/2011–12 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिया जाकर दिनांक 8–12–09 को नक्शा दुरूस्ती किए जाने की अनुशंसा के साथ अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन अपर कलेक्टर, बैतूल को प्रेषित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 22–10–2011 की आदेशिका में यह उल्लेख करते हुए कि राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार द्वारा मौजा हमलापुर का खसरा नम्बर 600 से 669 शीट नम्बर 5/6 में से रकबा कम कर अपीलार्थी के खाते में जोड़कर नक्शा दुरूस्ती की अनुशंसा की गई है, किन्तु जिस भूमि का रकबा कम हो रहा है, उसके खसरे के अनुसार विधिवत नक्शे का मिलान हो रहा है या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल से स्पष्ट प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अपर कलेक्टर को भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शा दुरूस्ती के संबंध में की गई अनुशंसा से सहमत होते हुए दिनांक 20–1–2012 को नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2015 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह प्रकरण में समस्त अभिलखित भूमिस्वामियों को विधिवत पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर अधीक्षक, भू–अभिलेख से मौका मुआयना कराकर विधिवत गुण–दोष के आधार पर उभय पक्ष को सुनने के उपरांत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को पंजीकृत डाक से सूचना पत्र की तामीली कराई गई है, किन्तु प्रत्यर्थी जानबूझकर तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है । यह भी कहा गया

कि प्रत्यर्थी को आदेश की जानकारी प्रारंभ से थी, इसके बाद भी उसके द्वारा समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि संहिता की धारा 47 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के विपरीत प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान भूमि का विक्रय कर दिया गया था, बाद में शिकायत होने पर पैसे वापिस किये गये हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के वाद कमांक 65 अ/13 में पारित निर्णय जयपत्र दिनांक 27–11–2014 पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण के पक्ष में तीस वर्ष पूर्व पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत प्रमाणिक साक्ष्य है, और प्रत्यर्थी द्वारा उसे चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो चुका है । यह भी कहा गया कि जिस भूमि का रकबा कम हो रहा है, उसके खसरो के अनुसार विधिवत नक्शे के मिलान के संबंध में तहसीलदार द्वारा पुनः इस्तहार जारी कर प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, किन्तु उसकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नहीं होते हुए भी प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 107 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के प्रावधानों का परिशीलन किये बिना आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा संशोधन करने में प्रत्यर्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और जब प्रत्यर्थी को आदेश की जानकारी हुई, उसके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय सीमा में अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है ।

यह भी कहा गया कि प्रकरण 2012 का है, अतः अपर कलेक्टर को सीमांकन कराकर नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 107 कृषि भूमि के संबंध में है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि नगरीय भूमि है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शे में संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा जॉच हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार बैतूल को भेजा गया है । तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जॉच की जाकर नक्शे में संशोधन की अनुशंसा करते हुये दिनांक 8–12–2009 को प्रतिवेदन अनुविभीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुये कि उक्त प्रतिवेदन तैयार करने में तहसीलदार द्वारा अनावेदक को विधिवत् सूचना पत्र की तामीली नहीं की गई है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है, जो कि अनावेदक पर तामील भी हुआ है । सूचना पत्र के तामीली उपरांत अनावेदक के उपस्थित नहीं होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रेषित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा यह पाते हुये कि जिस भूमि का रकबा कम हो रहा है, उसके खसरे के अनुसार विधिवत् नक्शे से मिलान हो रहा है, अथवा नहीं, इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, पुनः विधिवत् प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार बैतूल को भेजा गया है । तहसीलदार द्वारा पुनः प्रकरण में उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है और आपत्तियॉ ऑमत्रित की गई है । नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पुनः तहसीलदार द्वारा नक्शे में संशोधन किये जाने की अनुशंसा के साथ दिनांक 7–1–2012 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सहमति के साथ प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष

प्रस्तुत किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20–1–2012 को विधि एवं तथ्यों की विस्तृत विवेचना की जाकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नक्शे में संशोधन किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त के प्रकरण की आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–4–2015 को प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 पर बहस हेतु नियत किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 21–5–2015 नियत की गई । दिनांक 21–5–2015 को आगामी पेशी 25–6–2015 अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत की गई तत्पश्चात् प्रकरण सीधे अंतिम बहस हेतु नियत कर दिया गया, अर्थात् अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किये बगैर प्रकरण अंतिम आदेश हेतु नियत कर बहस सुनी जाकर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है । इस संबंध में 1993 आरएन 4 लक्ष्मीबाई तथा अन्य विरूद्ध श्रीमती गेंदाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 44(1) तथा 47 – समय वर्जित अपील – अपील न्यायालय का कर्तव्य एवं शक्तियॉ – सर्वप्रथम परिसीमा विवाद्यक विनिश्चित किया जाना चाहिये – गुणागुण पर आदेश केवल परिसीमा विवाद्यक के विनिश्चयन के पश्चात् पारित किया जा सकता है ।''

इसी प्रकार 2002 आरएन 254 रामभुवन विरूद्ध रामविशाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 44(1) – समय वर्जित अपील – परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश से विनिश्चित किया जाना चाहिये ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा बिना अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किये सीधे गुण दोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, अतः इसी आधार पर अपर आयुक्त का

आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर जिला बेतूल को प्रत्यावर्तित किया गया है कि वह प्रकरण में समस्त अभिलिखित भूमिस्वामियों को विधिवत् पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर अधीक्षक भू–अभिलेख को मौका मुआयना कराकर विधिवत् गुणदोष के आधार पर उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आदेश पारित करें, जबकि संहिता की धारा 49 में दिनांक 30–12–2011 का हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी की प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की शक्तियॉ समाप्त कर दी गई हैं । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 49 के प्रावधानों के विपरीत होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को केवल इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अपर कलेक्टर के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को विधिवत् सूचना पत्र तामील कराया गया है और वह सूचना उपरांत भी उपस्थित नहीं हुआ है, अतः गुणदोष पर भी अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत एवं न्यायिक आदेश नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 निरस्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–01–2012 स्थिर रखा जाता है। अपील स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर